बिहार सरकार

<u>मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</u>

!!**अधिसूचना**!!

संख्या–3/सी0 एस0/एम0–702/2011................/पटना–15, दिनांक –...............2011

बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006 (2006 के अधिनियम सं0–15) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार के मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।** (1) यह नियमावली बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(2) यह नियमावली तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम – 10 के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित खंड (ग) जोड़ा जायेगा :–**

"(ग) देश के भीतर हवाई यात्रा के दौरान मुख्य मंत्री/मंत्री अपने साथ एक आप्त सचिव/निजी सहायक को ले जा सकेंगे तथा इसके लिए बिहार यात्रा भत्ता नियमावली में अन्यथा प्रावधान होने पर भी ऐसे आप्त सचिव/निजी सहायक को हवाई यात्रा के लिए इकॉनॉमी क्लास का टिकट बुकिंग के दिन का न्यूनतम भाड़ा अनुमान्य होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 3/सी0 एस0/एम0–702/2011...665.../पटना–15, दिनांक–23 मई, 2011

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन/मंत्रिपरिषद् लेखा (पाँच प्रतियों में)/मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/सभी मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/11

(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के अपर सचिव

23/5/11